भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 993
(जिसका उत्तर सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक) को दिया गया)

सी-पेस की स्थापना के उद्देश्य और विज़न

993. श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्री प्रवीण पटेलः
श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस) की स्थापना के उद्देश्य और विज़न क्या हैं;
(ख) सी-पेस के माध्यम से निकास प्रक्रिया का लाभ उठाने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है; और
(ग) सरकार द्वारा कंपनियों के लिए आसान निकास प्रक्रिया सुनिश्चित करने और व्यापार करने में सुगमता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) बजट घोषणा 2022-23 के पैरा 77 की बजट घोषणा के अनुसार, मंत्रालय ने दिनांक 17 मार्च, 2023 को एमसीए अधिसूचना संख्या का.आ.1269 (अ) के द्वारा सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कारपोरेट एग्जिट (सी-पेस) की स्थापना की है, ताकि 01.05.2023 से प्रचालनगत और पैन इंडिया क्षेत्राधिकार वाली कंपनियों के स्वैच्छिक समापन को सुविधाजनक बनाया जा सके और उसमें तेजी लाई जा सके। सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कारपोरेट एग्जिट (सी-पेस) की स्थापना के पीछे का उद्देश्य और विजन एक ऐसी प्रक्रिया स्थापित करना था जिसमें कंपनियों के स्वैच्छिक समापन के लिए आवेदन को संसाधित करने में लगने वाला समय 2 साल से घटाकर 6 महीने से कम किया जा सके।

(ख): 01.05,2023 से 22.07,2024 के दौरान, "21372" कंपनियों ने सीपेस के माध्यम से एसटीके-2 आवेदन फ़ाइल करने पर अधिनियम की धारा 248 (2) के तहत निकास प्रक्रिया का लाभ उठाया है और उन्हें स्ट्राइक ऑफ/विघटित के रूप में चिह्नित किया गया है। स्वैच्छिक निकास के लिए सी-पेस के तहत लिया गया समय चालू वर्ष के दौरान घटकर लगभग 90 दिन हो गया है।

(ग): मंत्रालय ने पैन इंडिया क्षेत्राधिकार वाली कंपनियों की स्वैच्छिक स्ट्राइक ऑफ प्रक्रिया के लिए एक विशेष केन्द्र स्थापित किया है। कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.354(अ)- दिनांक 10 मई, 2023 द्वारा दूसरा संशोधन नियम, 2023 किया गया है। वी3 री-इंजीनियरिंग के माध्यम से यह प्रक्रिया लागू है ताकि कंपनियों के लिए स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और उसमें तेजी लाई जा सके और न्यूनतम समय के भीतर कंपनियों के आसानी से बाहर निकलने की सुविधा प्रदान करके व्यापार करने में आसानी में सुधार लाया जा सके।

*****